दिनांक-3जनवरी2020

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का निगम क्षेत्र में हो रहा है पंजीयन , 18 से 40 वर्ष आयु के लोग हो सकते सम्मिलित, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं सामान्य व्यक्तियों को 60 वर्ष के आयु पश्चात निश्चित मासिक पेंशन नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं सामान्य व्यक्तियों को 60 वर्ष के आयु पश्चात निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए श्रम योगी मानधन योजना का पंजीयन कार्य चॉइस सेंटरों के माध्यम से जारी है! समाज कल्याण विभाग के अजय शुक्ला ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि योजना के पात्रता के लिए 18 से 40 वर्ष आयु समूह के असंगठित श्रमिक योजना में शामिल हो सकते हैं! असंगठित श्रमिक जैसे फुटकर विक्रेता , रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक, कचरा बीनने वाले , कृषि श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, मोची, हस्तकरघा श्रमिक , धोबी, चमड़े का काम करने वाले श्रमिक , अंतर राज्य श्रमिक और इस तरह 125 कार्यो/व्यवसाय में कार्यरत श्रमिकों जिनकी मासिक आय रु 15000 से कम हो योजना में शामिल हो सकते हैं! जो व्यक्ति आयकर प्रदान नहीं करता है वह भी इसके लिए पात्र है! इस योजना के तहत ₹55 से ₹200 तक अलग-अलग आयु समूह के अनुसार प्रतिमाह अंशदान देय होगा एवं अंशदान के बराबर की राशि शासन के द्वारा देय होगी! जिसकी अधिक जानकारी निगम के समाज कल्याण विभाग से प्राप्त की जा सकती है!

जल है तो कल है

जल ही जीवन है!

जनसंपर्क अधिकारी